

87 प/बिज P.O. लखीमपुर डी. जयपुरी में प्राप्त
जनरल ल. वी गई गत आदेशों
की प्रतिलिपि में दिनांक 27/18
को पेश हो

राज्य लोक अदालत और
न्याय आयोग द्वारा 2018

27-18 पत्रावली राजपूर लोक अदालत
के लिये प्रेषित प्रतिलिपि प्रेषित हुई।
पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
लिखित कार्य वास्तविक लिखित कार्य
प्राप्तिका का मूल एवं प्रतिलिपि प्रतिलिपि एवं

द्वारा
सहायक न्यायिक
द्वारा

संख्या

दिनांक

तारीख
न्याय हुक्मपत्र

द्वारा 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में

तारीख
हुक्म

जिस विवेकाया से सम्बन्धित है
 मूल बाप से निवारण एक आसर्गिक
 से आसर्गिक विवेकाया से प्रतिबन्धित
 विवाहानुसंग रूपसे है। अतः आसर्गिक
 का प्रारम्भ मात्र इससे विवेकाया विषय
 विवाहानुसंग वस असासर्गिक से मूल
 बाप से निवारण एक ही आसर्गिक से आसर्गिक
 विवेकाया से प्रतिबन्धित विवाहानुसंग है
 कि अतः लोकवादा वदनीलदीप विषय
 नं. 68 खंका 0-11 की खोदारी मुक्ति का
 मुआवजा ^{का मुआवजा} असासर्गिक नं. 5 असासर्गिक नं. 1 से
 नहीं है। प्रमाण केवल मुआवजा
 का सबूत है अतः वस बाप असासर्गिक
 प्रविष्ट अथवा असासर्गिक है। मूल बाप से
 संगत है। असासर्गिक असासर्गिक
 असासर्गिक वस वदनीलदीप है।
 अतः अतः के विवेकाया असासर्गिक
 असासर्गिक वस।

सहायक कर्तव्य
दोस्त

